बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 185 ● नई दिल्ली ● बुधवार 23 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

पूर्व आप विधायक नरेश बालियान को बड़ी राहत, हफ्ते में एक बार परिवार से फोन पर कर सकेंगे बातचीत

नई दिल्ली । दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप के पूर्व विधायक नरेश बालियान को जेल से सप्ताह में एक बार पांच मिनट के लिए अपने परिवार से ई-मुलाकात और टेलीफोन पर बातचीत करने की अनुमति दे दी है। बालियान गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के कथित रूप से संचालित एक संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े मकोका मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। नरेश बालियान को मकोका मामले में 4 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था।

राष्ट्रपति के 14 सवालों पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट,

विधेयक को मंजूरी देने की समयसीमा तय करने का मामला

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ मंगलवार को राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए 14 सवालों पर विचार करने के लिए तैयार हो गई है। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर ये सवाल उठाए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को किसी विधेयक को मंजूरी देने की समयसीमा तय करने को कहा था।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस ए एस चंदूरकर की सदस्यता वाली संविधान पीठ अगस्त के मध्य से इस पर सुनवाई शुरू करेगी।

संविधान के अनुच्छेद 143(1) में प्रावधान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। संविधान का अनुच्छेद 143(1) राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से विचार-विमर्श करने से संबंधित है। इसमें कहा गया है, यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि किसी कानून या तथ्य का लेकर कोई सवाल उठ रहा है, या उठ सकता है, जो सार्वजनिक महत्व का हो तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ली जा सकती है। राष्ट्रपति उस सवाल को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है और न्यायालय, सुनवाई के बाद राष्ट्रपति को उस सवाल पर अपनी राय से अवगत करा सकता है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे ये 14 सवाल-

1. राज्यपाल के समक्ष अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास क्या विकल्प हैं?

2. क्या राज्यपाल इन विकल्पों पर विचार करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं?

3. क्या अनुच्छेद 200 के तहत

राज्यपाल द्वारा लिए गए फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है?

4. क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत लिए गए फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से रोक सकता है?

5. क्या अदालतें राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत लिए गए फैसलों की समयसीमा तय कर सकती हैं, जबकि संविधान में ऐसी कोई समयसीमा तय नहीं की गई है?

6. क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा हो सकती है?

7. क्या अदालतें अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा फैसला लेने की समयसीमा तय कर सकती हैं?

8. अगर राज्यपाल ने विधेयक को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया है तो क्या अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी चाहिए?

9. क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा क्रमशः अनुच्छेद 200 और 201 के तहत लिए गए फैसलों पर अदालतें लागू होने से पहले सुनवाई कर सकती हैं।

10. क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों में बदलाव कर सकता है?

11. क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के बिना राज्य सरकार कानून लागू कर सकती है?

12. क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई पीठ अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच को भेजने पर फैसला कर सकती है?

13. क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश/आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों मेल न खाता हो?

14. क्या अनुच्छेद 131 के तहत संविधान इसकी इजाजत देता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है?

क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को दिए अपने एक फैसले में सभी राज्यपालों को विधानसभा से पारित विधेयक को मंजूरी देने की समयसीमा तय कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक के संबंध में कोई विवेकाधिकार प्राप्त नहीं हैं और वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं।

ऐसे में उन्हें मंत्रीपरिषद की सलाह का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। न्यायालय ने फैसले में कहा कि यदि राष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा भेजे गए किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं, तो राज्य सरकारें सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती हैं।

दिल्ली सरकार का बड़ा एलान, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को मिलेंगे 7 करोड़; हरियाणा को भी पछाड़ा

नई दिल्ली । ओलंपिक और पैरालंपिक मेडल विजेताओं के लिए खुशखबरी है. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की है. यह जानकारी मंगलवार (22 जुलाई) को मंत्री आशीष सूद ने दी. इसके साथ ही सूद ने मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल योजना को मंजूरी देने की भी घोषणा की. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसले लिये गये. सूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''आज, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें दिल्ली के विकास के साथ छात्रों और युवाओं के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.'' उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, ''मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ऐतिहासिक फैसले लिए गए. ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को पहले तीन करोड़ रुपये, दो करोड़ रुपये और एक करोड़ रुपये दिए जाते थे लेकिन खेल पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अब ओलंपिक और पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेताओं को सात करोड़ रुपये, सिल्वर मेडल विजेताओं को 5 करोड़ रुपये और ब्रांज मेडल विजेताओं को तीन करोड़ रुपये दिए जाएंगे.'' मंत्री आशीष सूद ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार में गोल्ड और सिल्वर मेडल विजेताओं को ग्रुप ए की नौकरियां दी जाएंगी, जबकि ब्रांज मेडल विजेताओं को ग्रुप बी की नौकरियां दी जाएंगी. सूद ने यह भी घोषणा की कि मुख्यमंत्री डिजिटल योजना के तहत युवाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे. उन्होंने कहा, ''अच्छे अंकों के साथ दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले 1,200 मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे. इससे वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को लाभ होगा.''

कांवड़ शिविर में पहुंचीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, महिला कांवड़ियों के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

पूर्वी दिल्ली। कांवड़ियों के लिए दिल्ली सरकार ने इस बार खास व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को श्याम गिरी मंदिर के कांवड़ शिविर में पहुंचीं और महिला कांवड़ियों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने महिला कांवड़ियों के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। दिल्ली सीएम ने फिर से आरोप लगाया साजिश के तहत शाहदरा जीटी रोड पर कांच के टुकड़े फेंके गए थे। उन्हें विधायकों ने साफ किया। इस दौरान सीएम ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए और हर-हर महादेव का जयकारा लगाकर सावन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहली बार दिल्ली में भव्य कांवड़ शिविर लगे हैं। पिछली सरकार में कांवड़ शिविरों के बिजली के बिल अभी तक पेंडिंग हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले, रविवार को सीएम रेखा गुप्ता ने धौलाकुआं स्थित झील उपवन पार्क के कांवड़ सेवा शिविर और ततारपुर स्थित कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचकर शिवभक्तों की भक्ति को नमन किया था। यमुनापार सोमवार को भगवान भोलेनाथ के रंग में रंग गया। सड़कों पर एक ही जयकारा सुनाई दिया हर-हर महादेव। वजीराबाद रोड, शाहदरा जीटी रोड व एनएच-नौ की सर्विस रोड पर डाक कांवड़िये ही नजर आए। इन कांड़ियों में युवा से लेकर महिलाएं तक शामिल रहीं। शाम को हुई तेज वर्षा ने मौसम सुहाना कर दिया। वर्षा का कांवड़ियों ने जमकर आनंद लिया। वह सड़कों पर ही भजनों पर झूमे। सबसे अधिक कांवड़िये शाहदरा जीटी रोड पर आए।

रोता रह गया पिता और रूसी मां बच्चे को लेकर फुर्र... सुप्रीम कोर्ट भी हैरान, कहा- पासपोर्ट कोर्ट में तो देश छोड़कर कैसे भागी

नई दिल्ली । भारतीय पिता और रूसी मां के बीच वैवाहिक विवाद के चलते बच्चे की कस्टडी के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रूसी महिला बच्चे के साथ रूस पहुंच गई है. वो बिहार, नेपाल और यूएई के रास्ते 16 जुलाई को रूस पहुंच गई. सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि आखिरकार वो देश छोड़कर कैसे गई? क्या इसमें रूसी दूतावास से मिलीभगत है? सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि रशिया की दुल्हनिया यानी विक्टोरिया बसु अपने नाबालिग बच्चे के साथ भारत की सरहद से बाहर चली गई है. अब सरकार राजनयिक तरीकों से उसे वापस लाने की प्रक्रिया शुरू करेगी. केंद्र सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि उसके देश छोड़ कर जाने की पुष्टि हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर अवमानना का केस है? रूसी

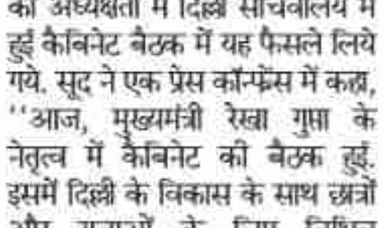

दूतावास की भूमिका की भी जांच हो. दिल्ली पुलिस ने कहा, हम जांच कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि पासपोर्ट कोर्ट में जमा है तो क्या दूतावास के किसी अफसर की मदद से डुप्लीकेट पासपोर्ट बना? मामले की आगे जांच की जाए. भारत से नेपाल- यूएई और रूस बिना दूतावास की मदद से हवाई जहाज से जाना कैसे मुमकिन है? इस केस में कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में 3 दिन बच्चे को मां के पास और 4 दिन पिता के पास रहने का आदेश दिया था, लेकिन 7 जुलाई को रूसी महिला बच्चे को लेकर गायब हो गई. आखिरी बार उसे रूसी दूतावास के एक अधिकारी के साथ दूतावास में देखा गया था. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढ कर पिता को सौंपने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि ये हर हाल में सुनिश्चित हो कि रूसी महिला बच्चे को लेकर देश न छोड़ने पाए. कोर्ट ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से कहा है कि महिला के खिलाफ लुक-आउट नोटिस जारी किया जाए और रूसी महिला का पासपोर्ट तुरंत जब्त किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले की विस्तार से जांच से करने को कहा और एक हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. दरअसल, कोलकाता के रहने वाले शैकत बसु और रूस की रहने वाली विक्टोरिया के बीच चाइल्ड कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दोनों पति-पत्नी के बीच साढे चार साल के बच्चे की कस्टडी को लेकर मध्यस्थता समेत तमाम कदम उठाए गए, जिसके आधार पर पहले कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी को एक दिन में 20 घंटे पिता के साथ जबकि बाकी के चार घंटे मां विक्टोरिया के साथ रहने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दो महीने के लिए था इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए एक हफ्ते में तीन दिन कस्टडी मां के पास और बाकी चार दिन कस्टडी पिता के पास रहने की अनुमति दे दी थी.

इसी दौरान जब जुलाई में बच्चों की कस्टडी रूसी महिला से बच्चे के पिता को नहीं मिली तब पिता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई और कहा गया कि बच्चे और विक्टोरिया दोनों ही कुछ पता नहीं चल पा रहा है.

नई दिल्ली (ए. के. चौधरी)संसद भवन परिसर SIR की आड़ में बिहार में हो रही वोट चोरी के खिलाफ आज संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ।वोट देना हर नागरिक का अधिकार है, हम इसे किसी भी कीमत पर छीनने नहीं देंगे। संविधान विरोधी शक्तियों के खिलाफ एकजुटता से लड़ेंगे। छाया-इंद्रजीत सिंह

चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी

चुनाव आयोग के मुताबिक ये लिस्ट पूरी नहीं है। मतलब कुछ और दस्तावेज़ों को भी मान्यता दी जा सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर 25 जुलाई तक घर-घर जाकर गणना पत्रों में ये ब्योरा जमा करेंगे। 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उन्हें दावों और ऐतराज के लिए 1 सितंबर तक का समय मिलेगा। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। विपक्षी दलों का तर्क है कि ये सारा काम जल्दबाज़ी में हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों सही मतदाता भी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। 26 जुलाई तक अपने या अपने माता-पिता की जन्मतिथि या जन्मस्थान के सबूत जुटाना सभी लोगों के लिए संभव नहीं होगा। ये भी तर्क है कि चुनाव आयोग इस बहाने बिहार में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लाने की कोशिश कर रहा है। वर्ष 2003 के बाद दर्ज सभी मतदाताओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं।

देश के विपक्षी दलों को विगत राज्यों के विधानसभा और लोकसभा में मिली करारी हार पच नहीं पा रही है। विपक्षी दलों ने इस हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने में कसर बाकी नहीं रखी। इसके लिए विपक्षी दलों ने तमाम तरकीबें इस्तेमाल की। इसके बावजूद चुनाव आयोग का सिलसिला थम नहीं सका। अब नया विवाद बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण पर हो रहा है। विपक्षी दल इसे भाजपा की चाल बता रहे हैं, ताकि लाखों मतदाता मतदान से वंचित रह सकें। इससे पहले भी विधानसभा और लोक सभा चुनाव में विपक्षी दलों ने इसी तरह का बखेड़ा करने का प्रयास किया था। इसके लिए चुनाव आयोग को निशाना बनाया गया। वास्तविक ज़मीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ने के बजाए इस तरह की पैतरेबाजी से विपक्षी दलों को मतदाताओं ने नकारने में कसर बाकी नहीं रखी। मौजूदा मुद्दा भी कुछ इसी तरह का है। इसको लेकर बिहार चुनाव में चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसे भाजपा की मिलीभगत की साज़िश करार दिया जा रहा है। जबकि चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। आयोग संविधान के दायरे में रह कर ही बिहार में चुनाव की तैयारियों को अंजाम दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की विशेष प्रक्रिया जिसे संक्षेप में सर कहा जा रहा है। दरअसल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए किसी भी चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है जो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार 1 जुलाई से मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा शुरू कर दी है। इसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, नीयत पर शक कर रहा है। चुनाव आयोग की दलील है कि बिहार में मतदाता सूची की गंभीर समीक्षा की ऐसी आखिरी प्रक्रिया 2003 में हुई थी और उसके बाद से नहीं हुई है। इसलिए ये मुहिम ज़रूरी है। समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक फॉर्म तैयार किया है, जो मतदाता 1 जनवरी, 2003 को मतदाता सूची में शामिल थे, उन्हें सिर्फ़ ये अर्थात गणना पत्र भरकर जमा करना है। उन्हें कोई सबूत नहीं देना होगा। बिहार में ऐसे 4.96 करोड़ मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने 2003 की ये वोटर लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। बाकी हंगामा 2003 के बाद मतदाता बने लोगों से सबूत मांगने को लेकर है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए नागरिकों जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान का सबूत देना होगा। ऐसे सभी मतदाता आज की तारीख़ में 38 साल या उससे बड़े होंगे। जो लोग 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं, उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान और अपने माता-पिता में से किसी एक की जन्मतिथि और जन्मस्थान का सबूत देना होगा। ये सभी लोग कहीं आज 21 से 38 साल के बीच के होंगे। इसके अलावा 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए नागरिकों को अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान और अपने माता-पिता दोनों की ही जन्मतिथि और जन्मस्थान का भी सबूत देना होगा। बस इन्हीं सबूतों की मांग को लेकर सारा विवाद खड़ा हो गया है कि इतनी जल्दी ये सबूत कहां से लेकर आएं। विपक्ष ने और कई नागरिक संगठनों ने ये सवाल खड़े किए हैं। आयोग के मुताबिक 2003 के बाद बीते 22 साल में तेज़ी से शहरीकरण हुआ है, अर्थात गांवों से लोग शहरों में गए हैं प्रवास काफ़ी तेज़ हुआ है। बिहार के लोग दूसरे राज्यों गए हैं, दूसरे राज्यों के लोग बिहार आए हैं। कई नागरिक 18 साल पूरा करने के बाद नए मतदाता बने हैं। कई मतदाताओं की मृत्यु की जानकारी अपडेट नहीं हुई है। सबसे अहम मतदाता सूची में दूसरे देशों से आए अवैध आव्रजकों को भी अलग किया जाना ज़रूरी है। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, हाईस्कूल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी में नाम, परिवार रजिस्टर ज़मीन या आवास आवंटन पत्र, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी या पेंशनर का कोई आई कार्ड सरकार या बैंक या पोस्ट ऑफिस या एलआईसी या सरकारी कंपनी का आई कार्ड या सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक पेश करना अनिवार्य है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये लिस्ट पूरी नहीं है। मतलब कुछ और दस्तावेज़ों को भी मान्यता दी जा सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर 25 जुलाई तक घर-घर जाकर गणना पत्रों में ये ब्योरा जमा करेंगे। 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उन्हें दावों और ऐतराज के लिए 1 सितंबर तक का समय मिलेगा। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। विपक्षी दलों का तर्क है कि ये सारा काम जल्दबाज़ी में हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों सही मतदाता भी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। 26 जुलाई तक अपने या अपने माता-पिता की जन्मतिथि या जन्मस्थान के सबूत जुटाना सभी लोगों के लिए संभव नहीं होगा।

ये भी तर्क है कि चुनाव आयोग इस बहाने बिहार में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लाने की कोशिश कर रहा है। वर्ष 2003 के बाद दर्ज सभी मतदाताओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इस आधार पर पूछा जा रहा है कि क्या 2003 से 2024 तक हुए चुनावों में सवाल खड़ा नहीं हो जाएगा। वहीं चुनाव आयोग इन सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इसे ज़रूरी बता रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को चुनावी राजनीति में घसीटने की कोशिश की हो, इससे पहले भी चुनाव की पराजय का ठीकरा आयोग के सिर फोड़ने की कोशिशें की जाती रही हैं। महाराष्ट्र-हरियाणा के चुनाव में भाजपा को मिली विजय के बाद ईवीएम पर सवाल उठाए गए। राहुल गांधी से लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे तक ने ईवीएम पर सवाल उठाए। विपक्षी दलों ने इस हार से सबक सीखने और देश के मतदाताओं की नब्ज पहचानने के बजाए ईवीएम के बजाए बैलेट बॉक्स से चुनाव कराने की मांग की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने ईवीएम पर पाबंदी लगाने की मांग खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती, लेकिन जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। यह ठीक नहीं है। विपक्षी दलों को समझना होगा कि सत्ता तभी मिलेगी जब देश के आम लोगों से जुड़े विकास और भ्रष्टाचार के लिए कोई एजेंडा तय करेंगे। सिर्फ भाजपा और चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से मतदाता प्रभावित नहीं होंगे।

खजाने का बोझ बढ़ा रही मुफ्त की रेवड़ियां

आप मुफ्त सुविधाएं कहें, रेवड़ी कहें या फ्रीबीज लेकिन सरकार इन्हें कल्याणकारी योजना ही साबित करना चाहती है। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, सब इसे अपने फायदे के लिए लागू करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहते। क्योंकि सत्ता का रास्ता अब रेवड़ी पथ से ही होकर गुजर रहा है, यानी सीधा वोट से कनेक्ट है। जब वोट ही रेवड़ियों के नाम पर मिल रहा है तो फिर इसे बांटने में कम्पीटिशन तो होगा, कौन कितना रेवड़ी बांट सकता है। जनता को भी रेवड़ी का स्वाद लग चुका है। वो जानती है कि किसकी रेवड़ी ज्यादा है, मीठी है, किसकी रेवड़ी खाना है और किसकी रेवड़ी ठुकराना है। ताजा मामला बिहार राज्य का है। बिहार 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज में डूबा है, जबकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 70,000 रुपए सालाना से कम है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। बेशक यह नितांत 'चुनावी रेवड़ी' है। बिहार में अगस्त माह में जो घरेलू बिल आएंगे, उनमें जुलाई के दौरान 125 यूनिट बिजली की खपत करने वालों का बिल 'शून्य' होगा। अजीब विरोधाभास यह है कि नीतीश कुमार मुफ्त बिजली सरीखी 'चुनावी रेवड़ियों' के घुर विरोधी रहे हैं। विधानसभा के भीतर और बाहर सार्वजनिक तौर पर उन्होंने 'रेवड़ियों' के खिलाफ बयान दिए हैं। मुफ्त की रेवड़ियां बांटना अब सिर्फ चुनावी वादा नहीं रह गया है, बल्कि चुनाव जीतने के लिए एक जरूरी दांव बन गया है। एक्टिसस इंवेस्टमेंट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर मुफ्त की चीजें बांट रही हैं। इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे-जैसे राजनीतिक दलों के बीच होड़ बढ़ रही है, कल्याणकारी योजनाएं और मुफ्त की रेवड़ियां चुनावी वादों से आगे बढ़कर राजनीतिक शक्ति का नया पैमाना बन गई हैं। मतलब साफ है कि राजनीतिक दलों के बीच मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट हासिल करने की होड़ मची हुई है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है ऐसी योजनाएं भले ही लोगों को थोड़े समय के लिए फायदा पहुंचाएं लेकिन लंबे समय में राज्यों के लिए आर्थिक संकट पैदा कर सकती हैं। मुफ्त बिजली की 'रेवड़ियां' बांटने के कारण राज्यों पर 96 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यह राशि भारत के सालाना राष्ट्रीय बजट से भी बहुत अधिक है। इस कर्ज पर 13 फीसदी ब्याज देना पड़ रहा है। 'ग्लोबल साउथ' के किसी भी देश की इतनी अर्थव्यवस्था नहीं है। एक राष्ट्र के तौर पर भारत पर करीब 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। औसत नागरिक पर 4 लाख रुपए से अधिक का कर्ज है, लेकिन देश के सामने यह कभी भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इतना कर्ज क्यों है? कर्ज किस वास्ते लेना पड़ा? यह स्थिति तब है, जब भारत 4 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक की अर्थव्यवस्था वाला देश है और विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बेशक 'रेवड़ियों' की यह चुनावी परंपरा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त बांट कर शुरू की थी। उनकी यह 'चुनावी रेवड़ी' पंजाब में भी बेहद कामयाब साबित हुई और आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनी। उसके बाद 'आप' ने तो इसे 'चुनावी करिश्मा' बना लिया। देखा-देखी भाजपा और कांग्रेस ने भी खूब 'रेवड़ियां' बांटीं। कांग्रेस की तीन राज्य सरकारें मुफ्त बिजली बांट रही हैं। यह दीगर है कि उन राज्यों पर भी लाखों करोड़ रुपए के कर्ज हैं। तमिलनाडु में विपक्षी दल द्रमुक की सरकार है और उस पर 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, लेकिन सरकार है और उस पर 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, लेकिन सरकार पावरलूम कर्मचारियों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे रही है। दरअसल इन सरकारों और राजनीतिक दलों को देश की अर्थव्यवस्था का जरा भी चिन्ता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी खुले मंच से कह चुके हैं कि 'मुफ्त रेवड़ियां' देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकती हैं। कर्नाटक इसका एक बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस की जीत के बाद वहां कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू हुईं। गृहलक्ष्मी योजना में महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये मिलते हैं। इसी तरह गृह ज्योति योजना में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। इन दोनों योजनाओं पर करीब 52,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह रकम राज्य के 2023-24 के वित्तीय घाटे का 78 प्रतिशत है। इससे कर्नाटक की आर्थिक स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने राज्य में सिर्फ 2,100 करोड़ रुपये यानी घाटे का सिर्फ 3 प्रतिशत कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने की योजना बनाई थी। कर्नाटक अकेला नहीं है। दूसरे राज्य भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना शुरू की गई। नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने और उनको सत्ता को स्थायित्व मिला, तो उन्होंने महिलाओं की खातिर राज्य में शराबबंदी लागू की। हालांकि उन्हें एहसास था कि इससे खजाने को करोड़ों का घाटा होगा, लेकिन सामाजिकता की खातिर उन्होंने यह कदम उठाया। हालांकि शराबबंदी पूरी तरह जमीन पर उतर नहीं पाई, लेकिन उसका राजनीतिक और चुनावी प्रभाव गहरा रहा। गौरतलब है कि चुनाव-दर-चुनाव फ्री स्कीम्स बढ़ती जा रही हैं। शुरुआत मुफ्त चावल, गेहूं, बिजली, पानी, साइकिल, लैपटॉप, टीवी और साड़ी हुई थी। और अब फ्रीबीज के तहत सीधे अकाउंट में नकद ट्रांसफर किए जा रहे हैं। भला पैसा किसे अच्छा नहीं लगता। बेरोजगारी भत्ता, विधवाओं को पेंशन, बुजुर्गों को पेंशन और कर्ज माफी भी अब फ्रीबीज के दायरे में शामिल हो गया है। इस लगातार राजकोष पर बोझ बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य अब इसी राजकोष के घाटे से जूझ रहे हैं। बिहार की चुनावी तस्वीर मुफ्त रेवड़ियों की चुनावी राजनीति से मुक्ति की उम्मीद तो हरगिज नहीं जगाती। इसलिए राज्यों पर बढ़ते कर्ज का बोझ कम होने की उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि राज्य पर कर्ज का बोझ अंतत नागरिकों पर ही कर्ज का बोझ है, क्योंकि राजनेता तो सत्ता-सुख भोग कर आते-जाते रहेंगे।

ये कार्यकर्ता नहीं, क्या गुंडों की फौज है ?

महाराष्ट्र विधान भवन परिसर में पिछले सप्ताह विधायकों के समर्थकों के बीच जो भीषण मारपीट हुई, एक-दूसरे को मां-बहन की गालियां दीं और कपड़े फाड़ दिए, उसने पूरे महाराष्ट्र को शर्मिंदा कर दिया है। हर कोई यही कह रहा है कि समर्थक या कार्यकर्ता ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या ये गुंडों की फौज थी? दरअसल जिन दो लोगों पर मुख्य रूप से आरोप लग रहे हैं, उनका रिकॉर्ड दागदार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के विधायक जितेंद्र आव्हाड के समर्थक नितिन देशमुख और भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर के समर्थक सर्जेराव बबन टकले के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। टकले पर तो झोपड़पट्टी दादा विरोधी कानून के तहत कार्रवाई भी हो चुकी है, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन दोनों को और दूसरे लोगों को विधान भवन में आने की अनुमति कैसे मिली? टकले के पास तो विधानभवन का पास भी नहीं था। यह सुरक्षा में चूक का गंभीर मामला है, संसद पर आतंकी हमले के बाद पूरा देश यही सोच रहा है कि विधानभवनों में भी सुरक्षा व्यवस्था इतनी चौकस होगी ही कि बिना पास के कोई भी व्यक्ति विधानभवन में प्रवेश न कर पाए! मगर इस घटना ने नई चिंता पैदा कर दी है। चर्चा तो यहां तक है कि पांच से लेकर दस हजार रुपए में पास मिल जाते हैं। क्या वाकई ऐसा है? अब एक पक्ष कह रहा है कि यह घटना अचानक हुई तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि घटना सुनियोजित थी। मेरे लिए या किसी के लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तैयारी किसकी तरफ से थी, किसने किसको ज्यादा मारा, ज्यादा गालियां दीं या किस पक्ष के समर्थकों के कपड़े ज्यादा फटे। चिंता का विषय यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति जा कहां रही है? इससे पहले विधानसभा के भीतर तीखे वाद-विवाद होते रहे हैं। खूब हंगामे भी होते रहे हैं, पेपर वेट भी फेंके गए हैं लेकिन वे छोटी घटनाएं थीं। विधानभवन परिसर में जिस तरह की घटना अभी हुई, वैसी शर्मनाक घटना पहले कभी नहीं हुई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल सही कहा है कि इस घटना के कारण हमारा सिर शर्म से झुक गया है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, मगर हमारा महाराष्ट्र इससे अछूता था। ये बीमारी कहां से आई? हालांकि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधायकों को खरी-खोटी सुनाई है और यह बड़ा निर्णय भी लिया कि विधानभवन में अब आगंतुकों को आने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे विधानभवन में कोई बैठक नहीं करेंगे। अपनी बैठकें वे मंत्रालय में ही करें, मगर सवाल केवल विधानभवन का नहीं है। सवाल तो महाराष्ट्र की राजनीति के बदलते हुए स्वरूप का है, महाराष्ट्र में राजनीति की पवित्रता पर हम गर्व करते रहे हैं। मैं पूरे देश में घूमता हूं, विदेश में घूमता हूं और गर्व से महाराष्ट्र की राजनीतिक शुचिता की बात भी करता हूं, मगर अब मैं किस मुंह से राजनीतिक शुचिता की बात करूंगा?

झुग्गी-बस्तियों में टूटती ज़िंदगियां और नागरिकता पर सवाल

सुनील कुमार

जहां झुग्गी वहां मकान ये प्रधानमंत्री मोदी के दो शब्द और 2022 तक सभी के सिर पर छत देने का वादा, उन लाखों लोगों के लिए एक आशा की किरण की तरह था जो वर्षों से सिर पर छत होने का सपना देखते रहे हैं। लेकिन आज जब हम 2022 के पार आ चुके हैं, तो देखते हैं कि लोगों को छत तो नहीं मिल पाई, बल्कि जो लोग गांवों से रोजगार की तलाश में शहरों की बस्तियों में अपना छोटा सा आशियाना बना पाए थे, वे भी अब बेघर होते जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर गुजरात, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक के शहरों में बुलडोजर चलाकर झुग्गी-बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। और दुखद यह है कि इस प्रक्रिया में 'न्यायपालिका' की भी भूमिका दिखाई देती है। सवाल उठता है- आखिर ये बस्तियों में रहने वाले लोग हैं कौन? कहां से आए हैं? क्या करते हैं? क्यों इन्हें 'अतिक्रमणकारी' कहकर इनके घर उजाड़े जा रहे हैं? और सर्वोच्च न्यायालय भी जब इनके अधिकारों की बात करने की बजाय उन्हें इस शब्द से परिभाषित करने लगे, तो यह न केवल संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि जनतंत्र के मूल आदर्शों से भी गहरा विचलन है। दिल्ली की बस्तियों की बात करें तो, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या 1,67,87,941 थी। इसमें से लगभग 25 प्रतिशत आबादी झुग्गियों में रहती है, जबकि ये बस्तियां दिल्ली के कुल क्षेत्रफल के मात्र आधे प्रतिशत में फैली हैं। दिल्ली शहर कुल 1,48,400 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। दिल्ली शहरी विकास बोर्ड (डीयूएसआईबी) के अनुसार, 2013 में दिल्ली में 700 हेक्टेयर भूमि पर कुल 685 झुग्गी-बस्तियां थीं इन बस्तियों में लगभग 4,18,282 झुग्गियां थीं, जो की दिल्ली के क्षेत्रफल के मात्र आधे प्रतिशत क्षेत्रफल में थी। सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की कुल जनसंख्या 4,25,78,150 है, जिनमें से दिल्ली में रहने वाली आबादी लगभग 20,29,755 है (हालांकि वास्तविक संख्या 40 लाख से अधिक मानी जाती है)। वर्ष 2020-22 तक 'नोटिफाइड' बस्तियों की संख्या घटकर 675 रह गई है, जिनमें अब 3,06,521 झुग्गियां रह गई हैं। सिर्फ दो महीनों में लगभग 2000 झुग्गियों को तोड़ा जा चुका है।

दिल्ली की बस्तियां लगातार कम क्षेत्रफल में सिमटती जा रही हैं। कभी ये झुग्गी-बस्तियां शहर के 2 से 3 प्रतिशत हिस्से में फैली होती थीं, लेकिन आज इन्हें हटाकर यमुना किनारे खेल गांव, अक्षरधाम मंदिर जैसी परियोजनाएं खड़ी की गई हैं। बस्तियों में रहने वाले कुछ लोगों को बवाना, नरेला और मदनपुर खादर जैसे दूर-दराज के इलाकों में भेजा गया, क्योंकि वहां औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की आवश्यकता थी। झुग्गी-बस्तियों को बसाना और फिर उजाड़ देना यह सरकार की एक दीर्घकालिक रणनीति होती है, जो अमीरों और पूंजीपतियों की जरूरतों के अनुसार चलती है। इस बात को खुद दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने भूमिहीन कैंप की सुनवाई के दौरान स्वीकार किया था- उन्होंने कहा कि पुनर्वास का अधिकार कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह मौजूदा नीति पर आधारित एक प्रशासनिक अधिकार है। हमें यह समझना होगा कि एक समय पर बस्तियां क्यों बसाई गईं, और अब उन्हें किस कारण उजाड़ा जा रहा है और क्यों केवल गिने-चुने लोगों को ही पुनर्वास मिल पा रहा है। सत्तर के दशक के बाद दिल्ली ने एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में तेजी से विकास किया। 1980 के बाद उच्च तकनीक वाले उद्योगों का भी विस्तार हुआ जैसे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर के क्षेत्र में दिल्ली एक बड़ा बाजार बन गया।

अब यहां सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है। धीरे-धीरे दिल्ली के उद्योगों को हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल जैसे राज्यों में स्थानांतरित किया जाने लगा। जब 2005 में पांचवीं औद्योगिक गणना हुई, तो दिल्ली में 7,57,743 औद्योगिक इकाइयां दर्ज की गईं, जिनमें 35,56,837 मजदूर पंजीकृत थे। लेकिन 2013 की छठी गणना में देखा गया कि इकाइयों की संख्या बढ़कर 8,75,000 हो गई, पर मजदूरों की संख्या घटकर 30,19,781 रह गई। यानी उद्योग बढ़े, लेकिन मजदूरों की जगह मशीनों ने ले ली, और रोजगार के अवसर घटते चले गए। जनसंख्या के संदर्भ में देखें तो 2001 में दिल्ली की जनसंख्या 1,38,50,507 थी, जो 2011 में बढ़कर 1,67,87,941 हो गई। इससे स्पष्ट होता है की दिल्ली का बड़ा मेहनतकश आबादी औद्योगिक मजदूरों की जगह दूसरे तरह की मजदूरी-रोजगार में लगा है। ग्रामीण भारत में विकास के नाम पर खेती, लघु उद्योग और हस्तशिल्प को नष्ट किया जा रहा है। किसानों और आदिवासियों की जमीनें छीनकर देशी-विदेशी पूंजीपतियों को सेज, औद्योगिक कॉरिडोर और खनन परियोजनाओं के लिए दी जा रही हैं। इसका नतीजा है कि गांव से पलायन बढ़ा है और भारत की लगभग 35 प्रतिशत आबादी शहरों की ओर जा चुकी है जिसे भारत के पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम 80 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात करते थे। जब ओखला औद्योगिक क्षेत्र बन रहा था, तब वहां काम करने वाले मजदूरों के लिए 'संजय कैंप' और 'इंदिरा कैंप' जैसी बस्तियां बसाई गईं। धीरे-धीरे फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर वहीं आकर बसते गए और बस्तियां फैलती चली गईं। इसी तरह, साउथ दिल्ली में जब एपीजे स्कूल, पंचशील एन्क्लेव, स्वामी एन्क्लेव और शेख सराय जैसे इलाकों में कोठियों और फ्लैटों का निर्माण हो रहा था, तब पास ही जगदम्बा कैंप, लाल गुंबद और स्वामी नगर जे.जे. कैंप जैसी झुग्गियां बसाई गईं। रोहिणी सेक्टर 18-19 के निर्माण के समय 'बादली जे.जे. कैंप' 1989 में बसाई गई। आज वही इलाके जब आकर्षक और विकसित हो गए हैं, तब वहां की बस्तियों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। गांव से उजड़कर जब किसान-मजदूर शहर आते हैं, तो उनके लिए झुग्गी-बस्तियां ही एकमात्र सहारा होती हैं। जिन्हें वहां जगह नहीं मिल पाती, वे फैक्ट्रियों में, फुटपाथ पर, या अस्थायी ढांचों में रात गुजारते हैं। कई बार फैक्ट्रियों में आग लगने से सैकड़ों लोग मर जाते हैं और फुटपाथ पर ठंड, गर्मी या दुर्घटना से उनकी जान चली जाती है। आज के समय में झुग्गी-बस्ती मेहनतकश जनता के लिए वैसी ही है जैसे मछली के लिए जल। अगर झुग्गियां नहीं रहीं, तो मजदूरों को रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सरकार की तरफ से दी गई आवासीय व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ है, लेकिन मजदूरों के लिए आवास का कोई इंतजाम नहीं किया गया। इन झुग्गियों की वजह से शहरों को सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। इन्हीं मजदूरों के खून-पसीने से शहर बनते और चलते हैं। यहीं से फैक्ट्री मजदूर, ड्राइवर, घरेलू कामगार, राजमिस्त्री, बेलदार, प्यून, चौकीदार, पेंटर, मेड जैसे श्रमिक निकलते हैं। भारत की जीडीपी में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे सरकार और व्यवस्था स्वीकार नहीं करती। यहाँ केवल आवास नहीं, बल्कि छोटे-छोटे उत्पादन और सेवाएँ भी होती हैं, जिससे लागत कम होती है। उदाहरण के लिए कीर्ति नगर के पास रेलवे लाइन के किनारे कमला नेहरू कैंप, संजय कैंप, जवाहर कैंप, इंदिरा कैंप और हरिजन बस्ती जैसी जगहों पर लगभग 200 घरों में फर्नीचर, बेड और सोफे बनाने का काम होता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 16 लाख लोग दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों में रहते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं बड़ी है। अधिकतर बस्तियों में दो-तीन मंजिला मकान होते हैं, जिनमें दो से तीन परिवार रहते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसे एक ही यूनिट गिना जाता है। इस तरह वास्तविक संख्या 40 लाख के आसपास पहुंच जाती है। दिल्ली की अधिकतर बस्तियां 30-40 साल पुरानी हैं। तब ये जगहें खाली, गड्ढों या जंगलों से भरी होती थीं। लोगों ने उन्हें साफ-सुथरा कर रहने लायक बनाया और अपनी जीवन भर की कमाई से वहां घर बनाए। समय के साथ सड़कों की ऊंचाई बढ़ा दी गई, जिससे झुग्गियों में बारिश का पानी भरने लगा। तब लोगों ने अपने घरों को और ऊंचा बनाना शुरू किया। इस तरह उन्होंने उस जमीन में अपनी पूरी पूंजी झोंक दी। गुलाई प्रसाद, उम्र 70 वर्ष, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैं और 1981 से दिल्ली के वजीरपुर बस्ती में रह रहे हैं। उनकी पत्नी लकवे की शिकार हैं, और बड़ी बेटी विधवा होकर उनके साथ ही रहती है। गांव में उनके पास केवल कुछ डिसमिल जमीन है। अब उन्हें कोई काम नहीं देता, वे पत्नी की पेंशन से गुजर-बसर करते हैं। अगर बस्ती टूट गई तो पेंशन भी बंद हो सकती है, और वे किराए का कमरा नहीं ले सकते। आज वे बताते हैं कि पानी भी नहीं आता, 5-7 लीटर पानी में ही नहाना पड़ता है। सीमा, आजमगढ़ की रहने वाली हैं। उनकी शादी 2006 में हुई और तब से वजीरपुर बस्ती में रह रही हैं। उनके सास-ससुर 40-45 साल से यहीं बसे थे। देवर की शादी में गांव गई थीं, और लौटने पर उनकी झुग्गी टूट चुकी थी- जिसमें उनका सारा सामान और तीनों बच्चों की किताबें भी दब गईं। वह कहती हैं, आजादपुर में किराया 5-6 हजार मांगते हैं, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। रजिया, 31 वर्ष की हैं और वजीरपुर बस्ती में ही पैदा हुईं। उन्होंने अशोक विहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की। वे कहती हैं, जिस दिन झुग्गी टूटी, ऐसा लगा जैसे हमारा जीवन ही खत्म हो गया। मो. आलम, 1972 में 13 साल की उम्र में दरभंगा से दिल्ली आए थे। अब उम्र अधिक हो चुकी है, कोई काम नहीं मिलता। वे कहते हैं, इतनी कम आमदनी में किराए पर रहना नामुमकिन है। राजकुमारी, गोरखपुर से हैं और पिछले आठ साल से वजीरपुर की बस्ती में 2000 रुपये किराये पर रह रही थीं। वे कहती हैं, अब अगर बस्ती टूट गई, तो 5-6 हजार का कमरा लेकर रहना संभव नहीं होगा। हम 8-10 हजार ही कमाते हैं, तो खर्च कैसे चलेगा? सरकार को बेघरों को सहारा देना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा कर रही है। रोशन सिंह, 22 साल के हैं और रोहतास (बिहार) से हैं। उनके पिता की खुद की झुग्गी थी जिसमें चार कमरे थे और पूरा परिवार वहीं रहता था। उन्हें 9500 रुपये की तनख्वाह मिलती है।

सम्पादकीय...

जहर उगलता बंगलादेश

भारत के पड़ोसी बंगलादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और उनके मंत्री तो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल ही रहे थे कि अब कट्टरपंथी ताकतें भारत के विरोध में लगातार विष फैला रही है। बंगलादेश की नवगठित नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख और पाक प्रस्त युवा नेता सरजिस आलम ने एक रैली में एक तरह से धमकीपूर्ण लहजे में कहा कि इस देश में किसी भी विदेशी समर्थक के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसलिए भारत के अधिपत्य का विरोध जरूरी है। बंगलादेश में शेख हसीना के तख्तापलट में छात्रों की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए छात्र संगठनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बंगलादेश इस समय कट्टरपंथी ताकतों के हाथों में खेल रहा है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से बंगलादेशी युवाओं और छात्रों को एक कट्टरपंथी वैचारिक सोच की ओर मोड़ने का अभियान चलाए हुए है। दो महीने पहले तुर्की समर्थित एक इस्लामी संगठन सल्तनत-ए-बांग्ला ने एक विवादास्पद नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को ग्रेटर बंगलादेश का हिस्सा बताया गया था। इससे पहले मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान बंगलादेश को नई पीढ़ी को कट्टरपंथी दिशा में मोड़ने की सुनियोजित कोशिश है। इससे पहले भी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से जुड़े कुछ लोगों ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर दावा जताया था। 2024 में बंगलादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद तुर्की और बंगलादेश के बीच संबंधों में अचानक तेजी आई है। तुर्की ने बंगलादेश को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है और तुर्की की सत्तारूढ़ पार्टी एकेपी से जुड़े कई इस्लामी एनजीओ वहां सक्रिय हो गए हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस रणनीतिक निकटता में एक प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है। ग्रेटर बंगलादेश की अवधारणा एक कट्टरपंथी विस्तारवादी सोच को दर्शाती है, जिसमें बांग्ला भाषी क्षेत्रों को एक राष्ट्र में मिलाने का सपना देखा जाता है। इसमें भारत के पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और म्यांमार का अराकान क्षेत्र शामिल है। हालांकि यह विचार बंगलादेश की मुख्यधारा में स्वीकार्य नहीं है लेकिन समय-समय पर इस्लामी समूहों और सोशल मीडिया पर यह भी उभरता रहता है। पिछले साल दिसम्बर 2024 में यूनुस सरकार के एक करीबी सहयोगी महफूज आलम ने एक ऐसा ही नक्शा सोशल मीडिया पर साझा किया था जिसमें भारतीय राज्यों को बंगलादेश का हिस्सा बताया गया था। भारत ने इस पर तीव्र आपत्ति जताते हुए ढाका को कड़ा विरोध दर्ज कराया था। अब जब तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों की मिलीभगत से बंगलादेश की धरती पर भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस घटनाक्रम को गम्भीरता से लेना शुरू कर दिया है। भारत के लिए 'चिकन नेक' यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसी संवेदनशील जगहों की सुरक्षा और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्किए भारत के प्रत्यक्ष दुश्मन की भूमिका में थे जबकि चीन ने पाकिस्तान को हर संभव मदद करते हुए उसे सैटेलाइट और अन्य माध्यमों से खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई कि भारत की सैन्य तैयारियां कहां और कैसी हैं। अब यह साफ हो चुका है कि बंगलादेश पाकिस्तान और चीन का त्रिकोण भारत के लिए नई चुनौतियां पैदा करने का रहा है। यानि भविष्य में भारत को तीनों से लड़ना पड़ सकता है। चीन पाकिस्तान को अपने हथियार बेच रहा है। तुर्किए ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक ड्रोन दिए हैं। पिछले महीने 19 जून को बंगलादेश, चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी जिसमें सार्क जैसा संगठन बनाने पर भी विचार हुआ। पाकिस्तान पहले ही चीन के कर्ज में डूबा हुआ है और बंगलादेश में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों ने इन तीनों के गठजोड़ को भारत के लिए खतरनाक करार दिया है। विश्व बैंक का अनुमान है कि पाकिस्तान को चीन का कर्ज चुकाने में 40 साल से ज्यादा समय लग सकता है। चीन इसी स्थिति का फायदा उठाकर दक्षिण एशिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। बंगलादेश भी चीन के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। शेख हसीना के कार्यकाल के 15 वर्ष बंगलादेश की अर्थव्यवस्था के लिए स्वर्णिम वर्ष रहे। लंबे समय तक बंगलादेश को दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रगति का एक शानदार उदाहरण माना जाता रहा है। इस ने रेडीमेड, गारमेंट्स, धन प्रेषण, गरीबी उन्मूलन, मानव संसाधन, विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में दुनिया में अपनी पहचान बनाई लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि बंगलादेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। व्यापार प्रभावित हो चुका है। बैंकों और वित्तीय खाताधारकों की दर भी तेजी से घट रही है। मोहम्मद यूनुस चीन और पाकिस्तान से रिश्ते बनाकर बंगलादेश की स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बंगलादेश की चीन पाकिस्तान से मिलकर गठजोड़ की कोशिशें सफल नहीं होंगी। क्योंकि तीनों में से कोई भी एक-दूसरे के साथ सीमा साझा नहीं करता। दरअसल बंगलादेश के सामने असली चुनौती इस पहल को अपनाने या इससे पीछे हटने में नहीं, बल्कि इसके दुष्परिणामों को संभालने में है। अगर भविष्य की सरकारें इससे दूरी बनाने का फैसला भी कर लें, तो भी कूटनीतिक नुकसान खासकर चीन के साथ की भरपाई करना मुश्किल हो सकता है। इससे बंगलादेश की विदेश नीति की दिशा में स्पष्टता की चिंताजनक कमी का पता चलता है। पिछले 15 वर्षों में भारत के साथ संबंध मजबूत हुए हैं, लेकिन असंतुलन वह लागत के बिना नहीं एक अधिक संतुलित रणनीति की ओर बदलाव की आवश्यकता लंबे समय से है लेकिन इसे दूरदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए, न कि सीमित अधिकारों वाली अंतरिम सरकार के तहत जल्दबाजी में। ऐसा लगता है कि सीमित अधिकारों वाली अंतरिम सरकार जल्दबाजी में है। चीन और भारत दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलना कूटनीतिक कौशल का विषय है। कभी सत्यजीत रे का पैतृक घर तोड़कर या भारत के विरोध करने से ही बंगलादेश मजबूत नहीं होगा। बंगलादेश में लगी आग की लपटें अब दूर-दूर तक पहुंच चुकी हैं। आतंकवादियों को संरक्षण देने और बंगलादेश में बढ़ती हिंसा के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। भारत सतर्क होकर किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपनी रक्षा तैयारियां मजबूत कर रहा है और साथ ही नए कूटनीतिक विकल्पों की तलाश भी कर रहा है। बंगलादेश का भी वही हश्र होगा जो चीन के कर्जजाल में फंसे श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान का हो रहा है। भारत रणनीतिक कौशल से आगे बढ़ रहा है और बंगलादेश में अराजकता फैल रही है। यही अराजकता उसे ले डूबेगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/0882)

सरकार ने रेटिंग एजेंसियों के साथ किए संबंध मजबूत, राज्यसभा में बोले वित्त राज्य मंत्री

नई दिल्ली । सरकार ने एक संरचित इंटरैक्टिव प्रक्रिया के माध्यम से वैश्विक रेटिंग एजेंसियों के साथ अपने संबंधत को मजबूत किया है। इस प्रक्रिया के तहत रेटिंग एजेंसियों के सामने समग्र व्यापक आर्थिक परिदृश्य को रखा जाता है। सरकार ने मंगलवार को संसद को यह सूचना दी।

सरकार की ओर से यह जानकारी ऐसे समय पर दी गई है जब एसएंडपी, फिच और मूडीज जैसी संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत को सबसे कम निवेश-ग्रेड रेटिंग दी है। मूडीज़ रेटिंग्स ने भारत को स्थिर दृष्टिकोण के साथ 'Baax' रेटिंग दी है, जबकि एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ 'BBB-' रेटिंग दी है। फिच ने भारत को स्थिर दृष्टिकोण के साथ 'BBB-' रेटिंग दी है, जबकि मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस ने मई में भारत की रेटिंग को स्थिर रुझान के साथ 'BBB' कर दिया था। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने भारत के समग्र आर्थिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, जिससे इसके ऋण प्रोफाइल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इनमें मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी तत्वों को बनाए रखना शामिल है, जैसे स्थिर विकास, मूल्य स्थिरता, राजकोषीय समेकन, लचीला बाह्य क्षेत्र, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, मजबूत बैंकिंग क्षेत्र और निवेश को समर्थन देने के लिए भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना। इसके अलावा, सरकार द्वारा मजबूत पूंजीगत व्यय, बुनियादी ढांचे के निर्माण, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, व्यापार में आसानी, रोजगार और कौशल विकास पर दिया गया जोर दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और विकास में योगदान देता है। चौधरी ने कहा, इसके अलावा, सरकार ने एक संरचित संवादात्मक प्रक्रिया के माध्यम से इन एजेंसियों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत किया है, जिसके दौरान वह समग्र व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है और एजेंसियों के विशिष्ट विचारों पर विचार करती है। रेटिंग एजेंसियां भारत सहित विभिन्न देशों की रेटिंग निर्धारित करने के लिए विभिन्न मात्रात्मक और गुणात्मक कारकों का उपयोग करती हैं। चौधरी ने कहा कि इन कारकों को मोटे तौर पर आर्थिक मजबूती, राजकोषीय मजबूती और लचीलापन, मौद्रिक प्रदर्शन और लचीलापन, बाह्य लचीलापन और संस्थागत मजबूती जैसी प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

एअर इंडिया ने बोइंग के बेड़े में ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच पूरी की, कहा- कोई समस्या नहीं मिली

नई दिल्ली ।

एअर इंडिया ने अपने बेड़े के सभी बोइंग 787 और बोइंग 737 विमानों के ईंधन नियंत्रण स्विच के लॉकिंग तंत्र का एहतियाती निरीक्षण पूरा कर लिया है। एअरलाइन ने बताया है कि उसने 14 जुलाई, 2025 को जारी डीजीसीए के निर्देशों का पालन किया है। एयर इंडिया ने बताया कि निरीक्षणों में, उक्त लॉकिंग तंत्र में कोई समस्या नहीं पाई गई। एअर इंडिया ने 12 जुलाई को स्वैच्छिक निरीक्षण शुरू किया था और डीजीसीए द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे पूरा कर लिया। नियामक को इसकी सूचना दे दी गई है। एअर इंडिया ने मंगलवार बताया कि उसने अपने पूरे बोइंग 787 और बोइंग 737 बेड़े में ईंधन नियंत्रण स्विच (एफसीएस) लॉकिंग तंत्र का एहतियाती निरीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, और इसमें कोई समस्या नहीं पाई गई। यह निरीक्षण 12 जून को हादसे के मद्देनजर किया गया। 12 जून को एअर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान अहमदाबाद से लंदन के गैटविक के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद एक इमारत से टकरा गया था। हादसे में 260 लोग मारे गए, जिनमें 19 लोग जमीन पर और विमान में सवार 242 यात्री व चालक दल के सदस्य थे। एअर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा, निरीक्षण के दौरान उक्त लॉकिंग तंत्र में कोई समस्या नहीं पाई गई। एअर इंडिया ने डीजीसीए के निर्देश से पहले 12 जुलाई को स्वैच्छिक निरीक्षण शुरू किया था और निर्धारित समय-सीमा के भीतर इसे पूरा कर लिया। नियामक को इसकी सूचना दे दी गई है। एअर इंडिया यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह निरीक्षण पिछले महीने डीजीसीए की ओर से जारी एक निर्देश के बाद किया गया। इस निर्देश में बोइंग और भारत में संचालित अन्य विमानों के ईंधन नियंत्रण स्विच सिस्टम की जांच का आदेश दिया गया था।

यह कदम एअर इंडिया विमान दुर्घटना पर 15 पृष्ठों की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद उठाया गया, जिसमें खुलासा हुआ था कि इंजन को ईंधन आपूर्ति करने वाले स्विच उड़ान भरने के एक सेकंड के भीतर ही बंद हो गए थे। यही इस दर्दनाक हादसे का प्रमुख कारण था।

वैश्विक स्थिरता का आधार बन रहा भारत, यूएन के मंच से बोले नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी

नई दिल्ली। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा है कि भारत की सतत आर्थिक प्रगति ने उसे वैश्विक स्तर पर स्थिरता का आधार बना दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया को ऐसे नए विकास मॉडल और वृद्धि के नए इंजनों की आवश्यकता है, जिन्हें बड़े पैमाने पर अपनाया और साझा किया जा सके। इस दिशा में भारत एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है बेरी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सतत विकास लक्ष्यों के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के मंत्रिस्तरीय खंड को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्व महत्वपूर्ण आर्थिक बदलावों और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। इससे सतत विकास लक्ष्यों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सामूहिक कार्य पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। बेरी ने कहा कि परिवर्तनशील युग में भारत एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। इसके सामाजिक-आर्थिक संकेतक निरंतर बेहतर हो रहे हैं। साथ ही इसमें समावेशी डिजिटल प्रौद्योगिकी, सैद्धांतिक सुधार और समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा, जो पैमाने, गति और स्थिरता से चिह्नित हो, अन्य विकासशील देशों का मार्गदर्शन करती है। उपाध्यक्ष ने आगे कहा कि अनुमान है कि 2013-14 और 2022-23 के बीच के दशक में 24.8 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकल आए हैं। आज भारत में विश्व में रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं का सबसे बड़ा समूह मौजूद है। भारत ने विकासशील देशों को रियायती वित्त, प्रौद्योगिकी साझेदारी और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की है। इसमें सौर ऊर्जा अवसंरचना और डिजिटल शासन उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा, यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस फोरम में ऐसे वैश्विक संघर्षों की पृष्ठभूमि में मिल रहा है, जो सतत विकास लक्ष्यों को और अधिक दूर ले जा रहे हैं। उन्होंने धीमी होती वैश्विक अर्थव्यवस्था, बढ़ते व्यापार तनाव, बढ़ती असमानताओं और सैन्य खर्च में वृद्धि के साथ-साथ सहायता बजट मे कमी आने पर चिंता व्यक्त की।

बैंकिंग शेयरों में तेजी से वापस लौटा शेयर बाजार; शुरुआती कारोबार में दिखी तेजी

मुंबई । बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने मंगलवार को दिन की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की। इटरनल और ब्लू-चिप बैंक शेयरों में तेजी की वजह से शेयर बाजार ने रफ्तार पकड़ी। एशियाई बाजारों में व्यापक रूप से मजबूत रुख ने भी शुरुआती कारोबार के दौरान शेयर बाजारों को रफ्तार दी। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 337.83 अंक चढ़कर 82,538.17 पर पहुंच गया। ऐसे ही 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 91.3 अंक बढ़कर 25,182 पर पहुंचा।

सेंसेक्स की कंपनियों में इटरनल 10 फीसदी उछलकर 298.30 रुपये के अपने ऊपरी सर्किट स्तर तक पहुंच गया। जोमैटो और ब्लिंकिट ब्रांडों के स्वामित्व वाली फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी इटरनल ने सोमवार को जून तिमाही के लिए 25 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ कमाया।

क्विक कॉमर्स और गोइंग-आउट व्यवसायों में निरंतर निवेश के कारण इसके मुनाफे पर असर पड़ा। ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, टाइटन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी फायदे में रहीं। हालांकि, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछड़ते नजर आए। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 1,681.23 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 3,578.43 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी कमजोर दिखा। अमेरिकी बाजार सोमवार को अधिकतर बढ़त के साथ बंद हुए थे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.85 प्रतिशत गिरकर 68.62 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। इससे पहले बीते दिन यानी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 442.61 अंक या 0.54 फीसदी चढ़कर 82,200.34 पर बंद हुआ। ऐसे ही निफ्टी 122.30 अंक या 0.49 फीसदी बढ़कर 25,090.70 पर बंद हुआ था।

कंपनियों की कमाई अप्रैल-जून में करीब ढाई साल के निचले स्तर पर, टीसीएस की खराब रही शुरुआत

नई दिल्ली । शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) अच्छी नहीं रही। अभी तक जितनी भी कंपनियों के वित्तीय परिणाम आए हैं, उनमें से ज्यादातर की कमाई करीब ढाई साल यानी 9 तिमाहियों के निचले स्तर पर आ गई है। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज कॉरपोरेट की भी आय और मुनाफा बहुत अच्छा नहीं रहा है। अभी तक आए नतीजों से पता चलता है कि बैंकिंग, वित्त, एफएमसीजी और सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों का प्रदर्शन सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा है। जून तिमाही के नतीजों की घोषणा करने वाली 186 कंपनियों का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर बढ़कर पांच तिमाहियों के उच्च स्तर 18.5 फीसदी पर पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुनाफे में यह भारी बढ़त इसलिए दिखी, क्योंकि कंपनी ने एशियन पेंट्स में 8,924 करोड़ रुपये में हिस्सा बेचा था। साथ ही, उसकी अन्य आय 15,119 करोड़ रुपये रही। अगर अन्य आय को मुनाफे से हटा दें तो बढ़त बहुत

मामूली होगी। राजस्व केवल 4.6 फीसदी बढ़ा, जो नौ तिमाहियों में सबसे कम है। इस वजह से सोमवार को कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। शुद्ध ब्याज मार्जिन पर दबाव एवं कम ऋण उठाव के बीच बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों ने कमजोर आंकड़े दर्ज किए हैं।

हालांकि, पूंजीगत वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों के लिए शुरुआती उम्मीदें ऊंची थीं, लेकिन अब तक के मौजूदा रुझान कंपनियों के कमजोर आय की ओर इशारा कर रहे हैं। आईटी क्षेत्र की कंपनियों का प्रदर्शन चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि में पांच तिमाहियों में सबसे कम रहा है। इनका राजस्व 3.4 फीसदी और शुद्ध लाभ केवल 4.6 फीसदी बढ़ा है। विश्लेषकों ने तिमाही की शुरुआत में पूंजीगत वस्तुओं, सीमेंट, स्वास्थ्य सेवा, तेल-गैस और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में दोहरे अंकों में लाभ वृद्धि की उम्मीद जताई थी। हालांकि, वर्तमान विश्लेषण कुछ प्रारंभिक परिणामों पर आधारित है, क्योंकि आने वाले सप्ताह में और अधिक कंपनियां अपने नतीजे जारी करेंगी, जिससे समग्र प्रदर्शन की स्पष्ट तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। अप्रैल-जून तिमाही का सबसे पहला नतीजा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने जारी किया था। इसका शुद्ध मुनाफा तिमाही के दौरान सिर्फ 6 फीसदी बढ़ा था। आईटी कंपनियों में विप्रो और एलटीआई माइंडट्री का लाभ जरूर 11-11 फीसदी बढ़ा, लेकिन दूसरे क्षेत्र की कंपनियों को फायदा और मार्जिन पर दबाव का सामना करना पड़ा। विश्लेषकों का मानना है कि आईटी और बैंकिंग की खाताबही में पहली तिमाही में दबाव दिखा है। विश्लेषकों का कहना है कि अभी बहुत कम कंपनियों के नतीजे आए हैं, इसलिए आगे के परिणाम पर नजर रखनी होगी। खासकर सरकारी बैंकों व वित्तीय कंपनियों पर। निजी क्षेत्र के बड़े बैंक नतीजे जारी कर चुके हैं।

असम (सक्षम भारत) कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गाँधी ने अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ गुवाहाटी में राजनीतिक मामलों की समिति, पीसीसी पदाधिकारी, सांसद, विधायक, फ्रंटल संगठन प्रमुख और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। छाया –सक्षम भारत

सावन शिवरात्रि पर दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, इन रास्तों पर जाने से बचें

नई दिल्ली। सावन शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर कांवड़ यात्रा के चलते राजधानी दिल्ली में भारी भीड़ को आशंका को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कदम उठाए है. मंगलवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी किया है. 23 जुलाई को सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी में बसों और कॉमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर कई इलाकों में रोक लगाई जाएगी. सावन शिवरात्रि के मौके पर यमुना बाजार स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में वहां के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है. पुलिस ने कहा कि महात्मा गांधी मार्ग, युधिष्ठिर सेतु और कुलेवार्ड रोड जैसे मुख्य मार्गों पर खास तौर पर भारी भीड़ और वाहनों की अधिकता रहेगी. एडवाइजरी के मुताबिक, युधिष्ठिर सेतु पर तीस हजारी से शाहदरा की ओर जाने वाली सभी बसें और कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. इसी तरह, कुलेवार्ड रोड पर आईएसबीटी कश्मीरी गेट से तीस हजारी की ओर कॉमर्शियल वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी. जीपीओ चौक से आईएसबीटी कश्मीरी गेट की ओर लोथियन रोड पर भी सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रमुख स्थानों पर डायवर्जन प्लान तैयार किया है. इनमें कुलेवार्ड रोड पर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5, रिंग रोड पर आईएसबीटी कश्मीरी गेट के आठ गेट के पास, और जीपीओ चौक शामिल है. इन बिंदुओं से कॉमर्शियल वाहनों को डायवर्ट कर वैकल्पिक मार्गों की ओर भेजा जाएगा, ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके. ट्रैफिक पुलिस ने यह भी बताया कि जो वाहन रिंग रोड के रास्ते हनुमान मंदिर की तरफ आ रहे होंगे और तीस हजारी की ओर जाना चाहते होंगे, उन्हें आईएसबीटी कश्मीरी गेट के आठ गेट से डायवर्ट किया जाएगा. इन वाहनों को रिंग रोड से होते हुए, यमुना मार्ग, राज निवास मार्ग, राजपुर रोड, डॉ. कार्णेवाल रोड और फिर बारफ खाना चौक होते हुए उनके गंतव्य की ओर भेजा जाएगा. वहीं, तीस हजारी से युधिष्ठिर सेतु की ओर जाने वाले कॉमर्शियल वाहनों को कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 से डायवर्ट किया जाएगा. इसके बाद उन्हें रिंग रोड पर भेजा जाएगा, जहां वे बाएं मुड़कर मठ के पास यू-टर्न लेंगे और हनुमान मंदिर के पास से होते हुए आउटर रिंग रोड, अक्षरधाम मंदिर होते हुए एनएच-24 की ओर आगे बढ़ेंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों और दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट्स जरूर चेक करें और हो सके तो भीड़भाड़ वाले मार्गों से बचें. विशेष रूप से कॉमर्शियल वाहन चालकों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रतिबंधित मार्गों पर यात्रा न करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें.

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर

नई दिल्ली।

- संसद भी नहीं पहुंचे, विदाई समारोह में शामिल नहीं होंगे;
- विपक्ष बोला- वजह स्वास्थ्य नहीं कुछ और है

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। यह जानकारी राज्यसभा में पीठासीन घनश्याम तिवाड़ी ने दी। धनखड़ आज सदन की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हुए। सुबह 11 बजे अपर सदन की कार्यवाही को शुरुआत जेडीयू सांसद हरिवंश ने की। इससे पहले खबर आई थी कि जगदीप इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। ना ही विदाई समारोह में शामिल होंगे। उधर, पीएम मोदी ने कहा कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। उन्होंने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा था, ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त, 2027 में रिटायर हो जाऊंगा।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को बताया, 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं आए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएसी की अगली बैठक आज दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए, श्री जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया है। हमें इसका मान रखना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसके पीछे कुछ और गहरे कारण है। श्री जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। साथ ही, यह उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है, जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया था।

विपक्ष के अन्य नेताओं के बयान

सांसद जेबी माथेर, कांग्रेस यह वास्तव में बहुत चौंकाने वाला है। उपराष्ट्रपति ने 21 जुलाई को राज्यसभा सत्र की अध्यक्षता की। यह एक बहुत ही अप्रत्याशित घटनाक्रम है। अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं और प्रत्येक मुद्दे को देखने के हमारे नज़रिए के कारण हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं। वे जल्द स्वस्थ हों। दानिश अली, कांग्रेस रहस्यमयी चीजें हो रही हैं, जो देश के हित में नहीं है। धनखड़ के इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं नहीं लगतीं। सुबह में आया था कि भाजपा के कुछ टॉप लीडर्स उनके पद की गरिमा के मुताबिक बयान नहीं दे रहे थे। ऐसा लगता है कि जस्टिस यादव और जस्टिस वर्मा को लेकर सरकार से उनके मतभेद थे। उन्होंने कई बार कहा है कि वह कभी किसी के दबाव में नहीं आएंगे। सुखदेव भगत, कांग्रेस ईश्वर जगदीप धनखड़ को स्वस्थ जीवन प्रदान करे, लेकिन राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता। पटकथा पहले से ही लिखी जाती है। बिहार चुनाव नजदीक है। यह एक पहलू हो सकता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की इच्छा के मुताबिक बहुत सी अप्रत्याशित चीजें होती हैं।

एअर इंडिया ने पूरी की बोइंग 787 के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच - कोई दिक्कत नहीं

नई दिल्ली। एअर इंडिया ने अपने बेड़े में शामिल सभी बोइंग 787 और बोइंग 737 एयरक्राफ्ट्स के फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग सिस्टम की जांच पूरी कर ली है. उसने मंगलवार को कहा कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में किसी तरह की दिक्कत नहीं मिली है. नागर विमानन महानिदेशालय ने सुरक्षा के लिहाज से एयरक्राफ्ट्स की जांच को लेकर निर्देश दिए थे. एयरलाइन ने कहा कि डीजीसीए के निर्देश के मुताबिक ही जांच की गई है. एअर इंडिया ने बयान में कहा, एअर इंडिया ने अपने बेड़े के सभी बोइंग 787 और बोइंग 737 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच (एफसीएस) के लॉकिंग सिस्टम की एहतियाती जांच पूरी कर ली है. इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं मिली. यह निरीक्षण पिछले महीने अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर विमान हादसे के बाद किया था, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी. एअर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की एक प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चला है कि ईंधन की आपूर्ति बंद होने के कारण उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान के इंजन बंद हो गए थे. इसकी वजह फ्यूल स्विच का रन से कटऑफ में अचानक चले जाना था. इससे इंजन फ्यूल कट-ऑफ स्विच के काम करने को लेकर फिर से चिंताएं पैदा हो गईं. कंपनी ने कहा कि जिन बोइंग 737 विमानों का भी निरीक्षण किया गया, वे एअर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े का हिस्सा हैं. अब निरीक्षण पूरा होने के साथ एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस दोनों ने डीजीसीए को सूचित कर दिया है।

बिहार एसआईआर पर संसद में जोरदार हंगामा, मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी-अखिलेश यादव भी रहे मौजूद

नई दिल्ली।

- संसद मानसून सत्र का दूसरा दिन
- बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का संसद में प्रदर्शन;
- लोकसभा-राज्यसभा बुधवार तक के लिए स्थगित

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर एकत्रित होकर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि यह चुनाव चुराने का एक तरीका है।

एसआईआर (विशेष गहन समीक्षा) और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि तख्तियां दिखाने के बजाय, आप अपने प्रस्ताव, संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं और कार्य मंत्रणा समिति उन पर विचार करेगी। अध्यक्ष समय देंगे और सरकार जवाब देगी। आप चिंतित क्यों हैं? आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर लोकतंत्र में मतदाता सुरक्षित नहीं है, तो लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को इस मामले की जांच करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार की जनता की शिकायतें सुनने की कोई मंशा नहीं है और एसआईआर (विशेष गहन समीक्षा) की कवायद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आखिरी समय में की जा रही है। इससे सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लग रहे हैं। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि सरकार हमें सदन में यह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दे रही है...भारत गठबंधन के सभी दलों ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और यह गलत है। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि यह लोकतंत्र पर स्पष्ट हमला है। हम एसआईआर (विशेष गहन समीक्षा) अभ्यास पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। हमें एसआईआर नहीं चाहिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पहले ही खत्म हो चुकी है। सरकार चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है...वे पहलगाम पर चर्चा के लिए सहमत हुए थे। हम अगले हफ्ते इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन यह लोकतंत्र से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि एसआईआर (विशेष गहन समीक्षा) के नाम पर मताधिकार छीना जा रहा है। इस तरह चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है...नागरिकता सत्यापित करना गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की नहीं। इस प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह एसआईआर (विशेष गहन समीक्षा) अभ्यास का मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का मुद्दा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम इस पर चर्चा चाहते हैं। यह लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। भाजपा लोकतंत्र पर हमला कर रही है।

आधार, मतदाता और राशन कार्ड केवल पहचान के लिए मान्य, चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर को सही ठहराया

नई दिल्ली।

बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने है। इसके लिए राज्यभर की राजनीति में गर्माहट तेज है। हालांकि गर्माहट का एक और बड़ा कारण चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2025) के फैसले को लेकर भी है।

जहां विपक्षी दल लगातार से चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहे है। ऐसे में मंगलवार को चुनाव आयोग ने बिहार में चल रहे एसआईआर-2025 को लेकर उठ रहे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सफाई दी है। अपने हलफनामें में चुनाव आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे अयोग्य व्यक्तियों को मतदाता सूची से हटाया जाता है। आयोग ने बताया कि एसआईआर-2025 के दौरान आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसी पहचान से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल केवल पहचान स्थापित करने के लिए किया जा रहा है, नागरिकता या निवास प्रमाण के रूप में नहीं।

आधार से पहचान, नागरिकता नहीं

आयोग ने साफ किया कि आधार नंबर देना वैकल्पिक है और यह केवल पहचान के लिए लिया जा रहा है ना कि नागरिकता साबित करने के लिए। आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अनुसार, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसके साथ ही आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत का कोई भी नागरिक तभी वोट डाल सकता है जब वह 18 साल का हो और सामान्य रूप से उस क्षेत्र का निवासी हो। जो व्यक्ति इन योग्यताओं को पूरा नहीं करता, वह वोट का अधिकार नहीं रखता, इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) और 21 (जीवन का अधिकार) के तहत कोई दावा नहीं कर सकता।

घर-घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं बीएलओ

इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में 7.89 करोड़ मतदाताओं में से अब तक 7.11 करोड़ लोगों (90.12फीसदी) के फॉर्म भरवा लिए गए हैं। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर पूर्व भरे हुए फॉर्म मतदाताओं को दे रहे है। आयोग ने कहा कि 94.68 फीसदी मतदाता प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। सिर्फ 0.01 फीसदी लोग ऐसे है जिन्हें कई बार प्रयास के बाद भी नहीं पाया गया। अंत में चुनाव आयोग ने बताया कि 25 जुलाई 2025 तक शेष 5.2फीसदी मतदाताओं से फॉर्म भरवाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।

शिवसेना यूबीटी का दावा

हनीट्रैप में विधायकों को फंसाकर गिराई गई महाविकास अघाड़ी सरकार

मुंबई। शिवसेना यूबीटी ने दावा किया है कि साल 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के विधायकों को हनी ट्रैप में फंसाकर सरकार गिराई गई। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में मंगलवार को ये भी दावा किया है कि विधायकों को फंसाने के लिए गुप्त कैमरों और पेगासस जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। सामना के संपादकीय लेख में कहा गया है कि अविभाजित शिवसेना और एनसीपी के कुछ विधायकों ने केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में अपनी निष्ठा बदली। कम से कम 18 विधायकों और चार सांसदों को हनीट्रैप में फंसाया गया था, जिसके चलते ही उन्होंने अपनी छवि बचाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया था कि सांसदों और विधायकों को ब्लैकमेल किया गया था और विपक्ष के पूर्व नेता होने के नाते उनकी टिप्पणी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। संपादकीय के अनुसार, गुप्त कैमरों और इसराइल के पेगासस जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। अब ये साफ हो गया है कि महाविकास अघाड़ी सरकार इस हनीट्रैप की वजह से ही गिरी। उल्लेखनीय है कि पेगासस एक स्पाइवेयर है, जिसे इसराइली साइबर-आर्म्स कंपनी एनएसओ ग्रुप ने विकसित किया है। जासूसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सामना में कहा गया है कि भाजपा के पास हनीट्रैप करने की एक प्रणाली थी और यहां तक कि पुलिसकर्मी भी विपक्ष की निगरानी कर रहे थे। जब शिवसेना के सांसदों और विधायकों से जुड़े हनीट्रैप के सबूतों वाली एक पेन ड्राइव एकनाथ शिंदे को सौंपी गई, तो वे सूरत, गुवाहाटी और फिर गोवा की यात्रा पर निकल गए।

कांवड़ यात्रा विवाद : सुप्रीम कोर्ट का आदेश

दुकानदारों को प्रदर्शित करनी होगी लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन की जानकारी

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही नेम प्लेट का मुद्दा गरमाया हुआ था, जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दुकानदारों को अपनी दुकानों पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। इस आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, दुकानों पर नेम प्लेट लगाने से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आखिर जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले सभी होटलों और ढाबों के लिए यह आदेश जारी किया है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि दुकानदारों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी निर्देशों का पालन करना होगा। क्यूआर कोड और नेम प्लेट के विवादित मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आगे कहा कि हम यह भी साफ करते हैं कि इन मुद्दों पर फिलहाल विचार करने की नहीं सोच रहे है. इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए क्यूआर कोड और पहचान संबंधी नेम प्लेट लगाने के मामले में सीधे दखल देने से इनकार कर दिया है, लेकिन लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए अब केवल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जानकारी देने का आदेश दिया है। नेम प्लेट और क्यूआर कोड लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। यह आदेश कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत देखा जा रहा है।

पर्दे के पीछे बड़ी राजनीति चल रही, सितंबर में कुछ बड़ा होने वाला है... धनखड़ के इस्तीफे पर बोले संजय राउत

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर संदेह जताया और पर्दे के पीछे राजनीति का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि धनखड़ का इस्तीफा कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे बड़ी राजनीति चल रही है, और इसका जल्द ही खुलासा होगा। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कोई साधारण घटना नहीं है।

उपराष्ट्रपति ने अपने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। राउत ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वह सच है। राउत ने कहा कि मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि यह स्वास्थ्य के कारण है। मैं कल उनका निरीक्षण कर रहा था। वह ठीक हैं। उन्होंने आगे कहा, कुछ तो चल रहा है, और हमें जल्द ही पता चल जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है– बस देखते रहिए, सितंबर में कुछ बड़ा होने वाला है। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा पर राज्यसभा अध्यक्ष धनखड़ का कथित रूप से अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कल ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर जब खड़गे बोल रहे थे, तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया था। आप जो कह रहे हैं वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। यह बात राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने नहीं, बल्कि सदन के नेता ने कही थी। यह एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अनादर है। इससे पहले आज, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की परिस्थितियों पर स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि यह फैसला एक रहस्य में लिपटा हुआ है। एएनआई से बात करते हुए, तिवारी ने दावा किया कि राज्यसभा के सभापति का इस्तीफा एक पहेली बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले, मैं भारत के उपराष्ट्रपति के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। हालांकि, उनका इस्तीफा एक पहेली बना हुआ है, जो इस समय एक रहस्य और उलझन में घिरा हुआ है। स्पष्टीकरण की मांग करते हुए तिवारी ने कहा कि उपराष्ट्रपति को परिस्थितियों पर प्रकाश डालना चाहिए क्योंकि वह दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं।

दिल्ली-एनसीआर में फिर कांपी धरती: सुबह-सुबह महसूस किए गए भूकंप के तेज़ झटके

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार सुबह एक बार फिर भूकंप के झटकों से धरती डोली। सुबह 6:00 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है और इसका केंद्र हरियाणा का फरीदाबाद था। हालांकि इस दौरान जान-माल के किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर बताया कि, 22 जुलाई 2025 को सुबह 6:00 बजे 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र फरीदाबाद में था और यह 5 किलोमीटर की गहराई में 28.29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 72.21 डिग्री पूर्वी देशांतर में था।

दो कारों की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत

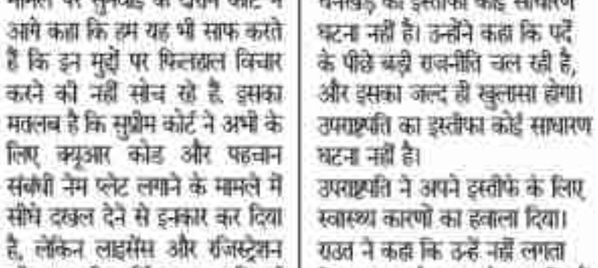

जयपुर। राजस्थान के बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में नेशनल हाईवे-11 पर सिलवाल उपखन के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां दो कारों की आमने-सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह दुर्घटना श्रीडूंगरगढ़-रतनगढ़ मार्ग पर हुई जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही श्रीडूंगरगढ़ थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया।

थानाधिकारी जितेंद्र स्वामी ने बताया कि घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देने के बाद बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस भीषण हादसे के कारण मार्ग पर यातायात भी बाधित रहा, जिससे लंबा जाम लग गया। फिलहाल, पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर सड़क को साफ करा दिया है और मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।